



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे / SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| कार्यालय Office of the मुख्य वाणिज्य प्रबंधक Chief Commercial Manager, बिलासपुर - (छ ग) Bilaspur(C.G.) | |
| दर परिपत्र स. 48(माल)/2017 | Rates Circular No.48(G)/2017 |

सं No.C/SECR/BSP/Freight Table/1302

दिनांक / Date: 08/03/2017

सभी मुख्य स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन अधीक्षक, मुख्य माल पर्यवेक्षक, माल पर्यवेक्षक, माल लिपिक एवं साईडिंग लिपिक, वे-ब्रिज लिपिक, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, वाणिज्य निरीक्षक, वरिष्ठ ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट, ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मंडल रेल प्रबंधक/DRMs/द.पू.म.रे. बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, /Sr.DCMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक, /Sr.DOMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। मुख्य वाणिज्य नियंत्रक, /Chief Commercial Control बिलासपुर। एरिया रेलवे मैनेजर/ARMs भिलाई, कोरबा, शहडोल एवं ब्रजराजनगर। मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी/CPRO बिलासपुर, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी/FA&CAO, उप मु.लेखाधिकारी (टी)/Dy.FA&CAO(T) एवं वरिष्ठ एकाउंट अधिकारी(टी.ए.) द.पू.म.रे. बिलासपुर/Sr.AFA(TA) वरिष्ठ उप मुख्य महाप्रबंधक/SDGM, मुख्य मालभाड़ा यातायात प्रबंधक,/CFTM मुख्य यांत्रिक अभियंता/CME, मुख्य अभियंता/CE, मुख्य विद्युत अभियंता/CEE, द.पू.म.रे. बिलासपुर। प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा अधिकारी, /Principal Director of Audit दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर।

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/CCMs:- पूर्व रेलवे, कोलकाता, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे, चैन्नई, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई, मध्य रेलवे, मुंबई सीएसटी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालीगांव गुवाहाटी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, पूर्व तटीय रेलवे, भुवनेश्वर, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद

कार्यकारी निर्देशक, रेल मूवमेन्ट/EDRM, रेलवे बोर्ड, पूर्व रेलवे हाउस, कोलकाता।

कॉन्कोर, इस्को हाउस, 50, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता

सीएओ(एफओआईएस), क्रीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली.,

महाप्रबंधक, क्रीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली., ओसीसी, क्रीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली.,

कार्यपालन निर्देशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।

विषय / Sub:- Adjustment in Base Freight Rates - Classification of Commodities.

संदर्भ / Ref: (i) Railway Board's letter No.TCR/1078/2015/07 dated 16.03.2015 and 20.03.2015 (Rates Circular No. 08 of 2015 and Corrigendum thereto).

(ii) This office Rates Circular No.44(G)/15, 45(G)/15, 51(G)/15, 151(G)/16, 156(G)/16, 193(G)/16 & 197(G)/16.

उपर्युक्त विषयक रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या TCR/1078/2015/07 दिनांक 07/03/2017 (Corrigendum No.18 to Rates Circular No. 8 of 2015) आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत पूर्ण विवरण नीचे दिया जा रहा है।

Contd..2..

2.

Rates Circular No.48(G)/2017

1.0 Please refer to Board's letter under reference notifying adjustment in Base Freight Rates with effect from 01.04.2015, amended from time to time.

2.0 Matter has been reviewed. Sanction of the competent authority is hereby accorded to insert the entry "Waxy Crude Oil" in Group No.18 under the Main Commodity Head -Petroleum Products and Gases at Page No.19 (to be placed below existing entry Toluene) and "Books/Exercise Books/Note Books and Work Books" in Group 23 under the Main Commodity Head Division 'A' at Page No.21 (to be placed below existing entry Fireworks) in the Goods Tariff No.48 Part (Vol-II) as per the following.


| Group No. | Commodity Description | Type of Commodity | Packing Condition | Risk Rate | Base Class |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|
| 18 | Waxy Crude Oil | d | - | RR | 180 |
| 23(l) | Books/Exercise Books/Note Books and Work Books | - | P-3 | RR | LR1 |

3.0 All other details of the Rates Circular under reference will continue to apply unchanged.

4.0 These instructions shall come into effect from 09.03.2017 and shall remain in force till further advice.

5.0 This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

कृपया सभी संबंधित कर्मचारी नोट करें एवं तदनुसार कार्यवाही करें ।



(एस. एम. गोन्डाने)

उप मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक/पण्य
कृते मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक